

राजस्थान सरकार, वन विभाग
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर
वनपालों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञाप्ति

क्रमांक:-एफ15(1)2015 / कार्मिक-भर्ती/प्रमुखसं/11408

दिनांक: 16/10/15

वन विभाग राजस्थान में राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा नियम 2015 के अंतर्गत वनपाल की सीधी भर्ती के वन मण्डलवार कुल 193 रिक्त पदों की भर्ती के लिए योग्य अन्यथियों से ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र (ऑन लाइन) दिनांक 16.11.2015 से 02.12.2015 तक भरे जा सकते हैं। नियुक्ति अधिकारी तथा उनके कार्यालय में भरे जाने वाले पदों का इकाइ विवरण निम्नानुसार है:-

वनपाल के रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वनपाल के भरे जाने वाले पदों का प्रवर्गवार विवरण						
		अनु० जाति	अनु० ज०जा०	पिछडा वर्ग	विशेष पिछडा वर्ग	अनारक्षित	सहरिया	योग
1	समाजीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर					1		1
2	उवस, उदयपुर (उत्तर) (जौन टी. एस.पी.)	1		1		1		3
3	उवस, राजसमन्द (जौन टी.एस.पी.)					2		2
4	उवस, चित्तोडगढ़ (जौन टी.एस.पी.)		1	1		4		6
5	संनायीय मुख्य वन संरक्षक जयपुर					2		2
6	उवस, जयपुर (उत्तर)		1			1		2
7	उवस, जयपुर					2		2
8	उवस, सीकार			1		1		2
9	उवस, झुणुकू	1	1			1		3
10	उवस, दोसा			1				1
11	काशीपुर जयपुर					1		1
12	उवस कोटा		1	1		4		6
13	उवस आलावाड़	1		1		3		5
14	काशीपुर कोटा					1		1
15	संनायीय मुख्य वन संरक्षक अजमेर					1		1
16	उवस अजमेर		1			4		5
17	उवस भीलवाड़ा					5		5
18	उवस टोंक			1		2		3
19	उवस नागौर		1			5		6
20	उवस सावाई मालोपुर					3		3
21	उवस शीकानेर	1	1	1		3		6
22	उवस,इ.गान.परि. स्टेज हिसीय शीकानेर	1		2	0	6		9
23	उवस इ.गान.परि. छतरगढ़	1		1		3		5
24	उ.व.ज्ञ.हनुमानगढ़	1	1			2		4
25	उ.व.ज्ञ. श्रीगंगानगर	2	1	3	0	9		15
26	उवस दूर्ल	1	1	1		2		5
27	उवस पाली	1				5		6
28	उवस जालोर					4		4
29	उवस जैसलमेर	1				7		8
30	उवस बाडमेर			1		6		7
31	उवस जोधपुर	2	1	1		5		9
32	उवस सिरोही	1	1	2		0		4

33	उवस स्टेज द्वितीय जैसलमेर	1	2	2		8		13
34	उवस बन्य जोध चिंडियापुर जयपुर					1		1
35	उवस बन्य जोध जयपुर					1		1
36	उवस बन्य जोध, मरतपुर					2		2
37	उपस बड़ी, जोधपुर					1		1
38	उवस बड़ी जैसलमेर			1		3		4
39	उवसं बड़ी शीकानेर					1		1
40	उपसं मुकन्दरा राष्ट्रीय धारान कोटा	1		1		4		6
41	मुख्य बन सरकार कन्य जोध उदयपुर					1		1
42	उवसं बड़ी चिंडीगढ़ (नौन दी.एस.पी.)					3		3
43	उवसं बन्य जोध राजसमन्द			1		3		4
44	उवसं विकाम, शीकानेर					3		3
45	उवसं विकाम, सूरतगढ़					3		3
46	उवसं विकाम, उदयपुर					1		1
47	उवसं विकाम स्टेज द्वितीय शीकानेर					2		2
48	उवसं परियोजना बैनू					1		1
49	उवसं परियोजना दांसवाड़ा					1		1
50	उवसं परियोजना आबूरोड़					1		1
51	मुख्य बन सरकार सिल्लोकल्चर, जयपुर					2		2
	योग	17	15	23	0	138	0	193

नोट:- 1 पदों की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है।

2. यह पद बन मण्डल अधीन भर्ती के होने के कारण आरक्षण मण्डलवार ही देय है, तदानुसार ही दर्शाया गया है।

3. यह भर्ती बन मण्डलवार पदों हेतु है, परंतु सुविधा के लिए विज्ञाप्ति इकजार्इ जारी की जा रही है।

1. वेतनमान:- 5200—20200 (पी बी-1) ग्रेड पै 2800/-

परिवीक्षा के दो वर्ष के दौरान उक्त पद पर नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों को पूर्ण वेतन प्राप्त होगा अथवा वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12 (6) एफ.डी./ (रूप्स) /05 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार फिक्सड वेतन रूपये 10740/- प्रतिमाह, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन तत्संबंधी विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगा।

2. आरक्षण:-

उपरोक्त पदों में प्रवर्गवार आरक्षण नियमानुसार निर्धारित रोस्टर के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के बैकलॉग को सम्मिलित करते हुये दर्शाये गये हैं।

2.1 महिलाओं के लिए :-

2.1.1 विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यार्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यार्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

2.1.2 राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 7 (2)डीओपी/ए-2/88/पार्ट-1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विविध विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यार्थियों के लिए होगा।

2.1.3 किसी वर्ग-विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवाओं और विविध विवाह महिला अभ्यार्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विविध विवाह महिला अभ्यार्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यार्थियों से भरी जायेगी। ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अप्रणीत नहीं की जायेगी।

2.1.4 स्पष्टीकरण :-

2.1.4.1 विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विविध विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

2.1.4.2 किसी वर्ग (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ सहरिया) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यार्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ सहरिया) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की वृद्धि से मान्य नहीं होगा।

2.1.4.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए :-

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण प्रवर्गवार (category wise) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनारक्षित/अनुजाति/अनुजनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/सहरिया) का होगा उसी वर्ग के पदों से समायोजित किया जायेगा।

भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है। प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चित्रित (राजस्थान) सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमलन) नियम 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार) 'अच्छा होना' चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :- भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमलन) नियम, 1988 के नियम 3 (क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

2.1.4.4 विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए :-

विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की गणना कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(2)कार्मिक (क-2)2015/पार्ट-I दिनांक 14.10.2015 के प्रावधानुसार की गयी है।

2.1.4.5 सहरिया आदिम जाति के लिए :-

1. कार्मिक विभाग के निर्देश क्रमांक प. 13 (20)क-2/91 पार्ट दिनांक 21.05.13 के अनुसार जिला बारां की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 25 प्रतिशत रिक्तियां जिले के स्थानीय सहरिया आदिम जाति से भरी जायेगी शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति से 6 प्रतिशत अनुसूचित जाति से 8 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जाति से 10 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग से 1 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग से 50 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।

2.1.4.6 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए :-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 5 (31)कार्मिक/क-2/84/15.03.13 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) रूप से माना जाएगा और इसका समायोजन उस संबंधित प्रवर्ग में किया जाएगा जिससे खिलाड़ी सम्बद्ध है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ग के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण :- उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिग्रह है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :-

- (1) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

- (2) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फैडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

- (3) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

- (4) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोशिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के आल इण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

उक्त पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए इन पदों पर निश्कर्ताजनों का आरक्षण देय नहीं होगा।

राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी :-

राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग /विशेष पिछड़ा वर्ग/ के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

3.आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-

अभ्यर्थी का वर्ग	वन विभाग को देय परीक्षा शुल्क रु०	RISL को देय शुल्क मय कर रु०	वनपाल के लिये कुल देय शुल्क रु०
	वनपाल	वनपाल	
(1)	(2)	(3)	(4)
Un- reserved / All creamy layer of Rajasthan and All applicants from out of Rajasthan	327.20	22.80	350.00
Backward Class of non-creamy layer/SBC (For Rajasthan Domicile)	227.20	22.80	250.00
SC/ST (For Rajasthan Domicile) / Saharia of Shahbad and Kishanganj Tehsils of Baran	127.20	22.80	150.00

3.1 ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराने के लिये उनको दिया जाने वाला शुल्क रु 10/-

3.2 ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से आवेदन सम्बन्धी अन्य कार्य जैसे आवेदन भरना, प्रिंट लेना आदि के लिये पृथक से ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) पर उपलब्ध स्वीकृत रेट लिस्ट के अनुसार शुल्क देना होगा।

3.3 अभ्यर्थी आवेदन करने एवं फीस जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वे इस भर्ती हेतु विवरणानुसार पूर्ण अर्हता रखते हैं। किसी अभ्यर्थी की पात्रता पूर्ण न होने के कारण होने वाली किसी समस्या के लिये राजस्थान वन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

4. शैक्षणिक योग्यता:-

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (10+2) या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

नोट:- ऐसे अभ्यर्थी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्यनरत है, आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता से पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत करना है। लिखित परीक्षा के समय उक्त शैक्षणिक योग्यता में समिलित होने का बोर्ड/संबंधित विद्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

5.आयु:-

आवेदन करने की तिथि की आगामी 1 जनवरी (अर्थात् 1 जनवरी 2016) को निम्न सारणी में इंगित सीमा के अंदर होनी चाहिए। महिलाओं, भूतपूर्व, सैनिकों, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों सरकारी स्थायी कर्मियों के लिये नियमों में वर्णित आयु संबंधी छूट देय होगी, जिनकी जानकारी भी निम्न सारणी में इंगित है।

कैटेगरी	1.1.2016 को न्यूनतम आयु(वर्ष)	1.1.2016 को अधिकतम आयु(वर्ष)	वर्ष 2013 में भर्ती नहीं होने के कारण अधिकतम आयु में देय छूट के बाद निर्धारित अधिकतम आयु (वर्ष)	तिथि जिसके पश्चात जन्म न हुआ हो	तिथि जिससे पूर्व जन्म न हुआ हो
राजस्थान डोमिसाइल के अनारक्षित वर्ग के/राजस्थान से गिन्न राज्य के डोमिसाइल वाले समस्त अभ्यर्थी					
पुरुष	18	35	38	1 जनवरी 1998	02.01.1978
महिला	18	40	43	1 जनवरी 1998	02.01.1973
विधवा/तलाकशुदा महिला	18	59	59	1 जनवरी 1998	02.01.1957
भूतपूर्व सैन्यकर्मी	18	50	50	1 जनवरी 1998	02.01.1966
राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी	18	40	40	1 जनवरी 1998	02.01.1976
राजस्थान डोमिसाइल अनुसूचित जाति/अनुसूचित ¹ जनजाति/बीसी/ एसबीसी / सहरिया अभ्यर्थी					
पुरुष	18	40	43	1 जनवरी 1998	02.01.1973
महिला	18	45	48	1 जनवरी 1998	02.01.1968
विधवा/तलाकशुदा महिला	18	59	59	1 जनवरी 1998	02.01.1957
भूतपूर्व सैन्यकर्मी	18	50	50	1 जनवरी 1998	02.01.1966
राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी	18	40	40	1 जनवरी 1998	02.01.1976

6.निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता प्रतिमान:- वनपाल पद के लिये शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता प्रतिमान निम्नानुसार निर्धारित है:-

	निर्धारित	मापदण्ड/प्रतिमान	महिला अभ्यर्थी
		पुरुष अभ्यर्थी	
1	ऊँचाई	163 सेंटीमीटर	150 सेंटीमीटर
2	सीने का घेरा (सेमी)		
(अ) सामान्य	84 सेंटीमीटर	79 सेंटीमीटर	
(ब) फैलाव	5 सेंटीमीटर न्यूनतम	5 सेंटीमीटर न्यूनतम	
3.	पद चाल परीक्षण	25 किलोमीटर की दूरी तय करना 4 घण्टे में	16 किलोमीटर की दूरी तय करना 4 घण्टे में

नोट:- भूतपूर्व सैनिकों/बारां जिले के जनजातीय सब प्लान क्षेत्र के सहरिया और जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए भी उपरोक्तानुसार शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता प्रतिमान रहेंगे।

6.1 शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेंगा।

6.2 शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को 20 अंक दिये जायेंगे।

6.3 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उठने वाले किसी विवाद पर नियमानुसार गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

7.आवेदन प्रक्रिया:-

7.1 भर्ती हेतु आवेदन केवल Online Application Form में लिये जायेंगे। यह आवेदन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से भरे जा सकेंगे। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र/हार्ड कापी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7.2 परीक्षा शुल्क व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित शुल्क की राशि ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र पर केवल नगद राशि के रूप में स्वीकार की जायेगी। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप परीक्षा शुल्क नगद जमा कराते समय अपना नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, लिंग एवं दैवाहिक रिस्तेति तथा कार्यालय (जिसमें आवेदन कर रहा है) भी उपलब्ध करायेगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत कम्प्यूटर द्वारा निकाली गयी पर्ची जिसमें उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नंबर जारी किया जायेगा, अभ्यर्थी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसको रसीद माना जायेगा। अभ्यर्थी इस टोकन नंबर को संभाल कर रखे क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रवेश पत्र आदि के लिये भी पड़ेंगी।

7.3 अभ्यर्थी www.rajforest.nic.in पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। इसी वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उपलब्ध होंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र में शुल्क जमा कराते समय प्राप्त टोकन नंबर भरना होगा जिसके पश्चात ही ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। इस ऑनलाईन आवेदन पत्र में शुल्क जमा कराते समय दी गयी जानकारी अंकित होगी और यह बदली नहीं जा सकेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिये अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज (4.5X 3.5 cm) की स्कैन आवेदन पत्र को अपने कॉपी तथा अपने दायें अंगुठे के निशान की स्कैन कापी अपलोड करेगा। यह सुविधा अतिरिक्त भुगतान पर ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र पर भी उपलब्ध होगी। पूरा आवेदन भी ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भराया जा सकेगा जिसके लिये स्वीकृत रेट लिस्ट के अनुसार भुगतान देय होगा।

7.4 अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक (application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। यदि यह प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र क्रमांक (application ID) को संभाल कर रखे क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रवेश पत्र आदि के लिये भी पड़ेगी।

7.5 ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दिशा निर्देश :-

7.5.1 आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप www.rajforest.nic.in से डाउनलोड कर इसे ऑनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भरें तत्पश्चात ऑनलाईन आवेदन करें।

7.5.2 आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गयी हैं।

7.5.3 आवेदक एक ही कार्यालय के लिए आवेदन करें। एक से अधिक कार्यालय के लिए आवेदन करने पर केवल एक ही कार्यालय के आवेदन को स्वीकार करते हुए शेष आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

7.5.4 ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन रद्द किया जायेगा तथा आवेदक को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में सुधार हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.5.5 आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

7.5.6 सर्वप्रथम वेबसाईट www.rajforest.nic.in पर जाकर पूर्ण विज्ञप्ति पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर ले कि आप के पास पद के लिये समस्त आवश्यक अहर्ता हैं।

7.5.7 इसी वेबसाईट पर उपलब्ध खाली आवेदन पत्र को पढ़ ले तथा उसमें भरी जाने वाली जानकारी पृथक से नोट कर ले। यह जानकारी आवेदन पत्र भरते समय आपके पास होने से आवेदन पत्र भरने में सुविधा होगी।

7.5.8 इसी वेबसाईट पर उपलब्ध Step-by-Step Instructions तथा अन्य जानकारी भी भली भौति पढ़ लें तथा आवेदन भरने के लिये आवश्यक सामग्री साथ लेकर आवेदन पत्र भरने का आंख करें।

7.5.9 ई-मित्र अथवा जन सुविधा केन्द्र (CSC) पर जाकर बनपाल भर्ती के लिये निर्धारित शुल्क जमा करावे। शुल्क जमा करते समय जो जानकारी (नाम, पिता का नाम, आयुर्वर्ग, कार्यालय जिसमें आवेदन करना है, आदि) दी जायेगी वह ई-मित्र अथवा जन सुविधा केन्द्र (CSC) के संचालक द्वारा कम्प्यूटर पर भरी जाकर एक 16 अंकों की टोकन सं० उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे आवेदक संभाल कर रखें। ध्यान रहे कि इस समय दी गई जानकारी सही हो क्योंकि यह आवेदन पत्र भरते समय बदली नहीं जा सकती है। आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर भी online भुगतान किया जाकर टोकन न० प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये इसी वेबसाईट पर E-Mitra Portal लिंक दिया गया है।

7.5.10 आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वयं अथवा ई-मित्र अथवा जनसुविधा केन्द्र (CSC) संचालक के माध्यम से भरा जा सकता है जिसके लिये इन केंद्रों पर उपलब्ध रेट लिस्ट के अनुसार भुगतान देय होगा।

7.5.11 आवेदन भरने के लिये वेबसाईट www.rajforest.nic.in पर जाकर Apply Online लिंक करें। नये स्क्रीन पर टोकन संख्या तथा जन्मतिथि भरने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये उपलब्ध होगा। टोकन प्राप्त करते समय दी गई जानकारी इस आवेदन पत्र में स्वत ही भरी जायेगी और अपरिवर्तीय होगी। शेष जानकारी भरने तथा फोटो आदि अपलोड करने के पश्चात आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है अथवा आवेदन के पास वांछित अहर्ता नहीं है तो स्क्रीन पर चेतावनी आयेगी। यदि आवेदन पत्र सही है तथा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है तो एक आवेदन आई. डी प्राप्त होगा जिसे आवेदक संभाल कर रखें। आवेदक भरे हुये आवेदन पत्र की प्रतिलिपि का प्रिंट अपने पास रखें।

7.6 लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र:- यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिये अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आवेदन पत्र क्रमांक (application I.D.) एवं 16 अंकों की टोकन नंबर के आधार पर वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी ने एक से अधिक कार्यालय के लिए आवेदन किया है तो अभ्यर्थी केवल एक ही कार्यालय के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। परीक्षा के समय आवेदक प्रवेश पत्र पर एक फोटो चिपकाकर अपने वैध पहचान पत्र (Passport, Photo PAN Card, Driving License, Aadhar Card, Photo Voter ID, Government / Defence Photo ID Card) के साथ परीक्षा में उपस्थित होगा।

8. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया:-

8.1 लिखित परीक्षा:- लिखित परीक्षा संपूर्ण राज्य में एक ही तिथि व समय पर एक साथ आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा हिंदी माध्यम में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकृति के प्रश्नों पर आधारित होगी जिसके पूर्णक सौ अंक होगे। लिखित परीक्षा के प्रश्नों में राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ सीनियर सैकेण्डरी स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें वैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामायिक विषय आदि समाविष्ट हो, पर वस्तुपरक (Objective) प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होंगे।

8.2 मापतोल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा:- लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मापतोल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जायेगा। जो अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें अग्रिम चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

8.3 साक्षात्कार:- उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार दस अंकों का होगा।

8.4 चयन सूची:- साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जायेगी।

8.5 स्वास्थ्य परीक्षण:- मैडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।

8.6 प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन:- चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच कराई जायेगी।

8.7 बनपाल के पद पर भर्ती हेतु प्रत्येक नियुक्ति कार्यालय द्वारा अंतिम चयन में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त अंकों को विचार में लिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनारक्षित/अनु. जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग/ सहरिया के बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मैरिट अनुसार रेटिंगों की संख्या के पांच गुणा तक निर्धारित निर्वहित होंगी। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हित करते हैं वे नियुक्ति हेतु गठित समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे। इसमें अभ्यर्थी की उपयुक्तता विनिर्णीत करने के लिए अभिरुचि और व्यक्तित्व निर्धारण अन्वर्षित होगा। समिति ऐसे अभ्यर्थियों की जो शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हित करे, और जिन्हें वे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, एक सूची तैयार करेंगे और उसे प्रत्येक अभ्यर्थी

लिखित परीक्षा, बीस अंक के शारारिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार में प्रदान किये गये अंको के योग के आधार पर योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगी। नियुक्ति दिये जाने से पूर्व अभ्यर्थी को नियत तिथि तक निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र पूर्णतः धारित करने बाबत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहेंगे उनको नियुक्त नहीं किया जावेगा।

9. भर्ती कार्यक्रम:-

- (1) आवेदन शुल्क जमा करने की अवधि—16.11.2015 से 30.11.2015
- (2) ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि—01.12.2015
- (3) ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की अवधि—14.12.2015 से 18.12.2015
- (4) लिखित परीक्षा की तिथि—28 दिसम्बर 2015 समय प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक
- (5) शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि—पृथक से सूचित की जायेगी।
- (6) साक्षात्कार की तिथि—पृथक से सूचित की जायेगी।

10. नियुक्ति के लिए अर्योग्यता:-

- 10.1 किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक पत्नि हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा।
- 10.2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहली पत्नि जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
- 10.3 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 2 से अधिक संतान हो, सेवा की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - 10.3.1 परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती।
 - 10.3.2 परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।
 - 10.3.3 परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
- 10.4 राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प-6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्चनीय होगा।
- 10.5 किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
- 10.6 स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एकट, 1961 में है (सेन्टल एकट 28 आफ 1961)
- 10.7 भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हे आयु सीमा से लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।
- 10.8 आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी भी परीक्षा से वन्चित (डीबार) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (डीबार) होते की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे।
- 10.9 नैतिक अक्षमता (moral turpitude) के अपराध में दोषसिद्ध अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होगे।


11. आवश्यक प्रमाण—पत्र-

- अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे—
- 11.1 समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
 - 11.2 आयु प्रमाण—पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
 - 11.3 अभ्यर्थी यदि अनुसन्धित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ सहरिया से सम्बद्धित हैं तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण—पत्र।
 - 11.4 यदि आवेदक राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापर्ति प्रमाण पत्र।
 - 11.5 अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण—पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
 - 11.6 भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने को प्रमाण पत्र/ पेशनर होने का प्रमाण पत्र।
 - 11.7 आवेदक से सम्बद्ध सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त विर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5x3.5 सेमी.) फोटो।
 - 11.8 विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सहूत प्रस्तुत करना होगा।
 - 11.9 अन्य वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र।

12. महत्वपूर्ण निर्देश

- 12.1 नियुक्त बनरक्षक को राजस्थान के किसी भी कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा तथा दो वर्ष से पूर्व अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
- 12.2 जिस कार्यालय में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त है उन्हीं के लिए आवेदन—पत्र स्वीकार्य होगे।
- 12.3 आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन—पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारारिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति देने के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए विधि संगत कार्यवाही कर नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

- 12.4 निरस्त किए गये आवेदन—पत्र के अभ्यर्थी को शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। यदि आवेदन पत्र आनेलाइन स्वीकृत होता है परन्तु किहीं कारणों (जिसमें साफटवेयर में ट्रुटि शामिल है) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अहता के संबंध में सुनिश्चित हो लें।
- 12.5 राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
- 12.6 आवेदक को घयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में समिलित होने के लिए यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- 12.7 परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश—पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश—पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
- 12.8 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती है। तथापि शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर दुबारा अवसर नहीं दिया जावेगा।
- 12.9 परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में अनुचित सामग्री लाना, उसका उपयोग करते हुए पाये जाना, छद्मवेश में कार्य करना अथवा तत्पात्रक सूचना को छिपाना, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है एवं इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जायेगा। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु बंचित भी किया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- 12.10 शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पृथक् से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा।
- 12.11 उक्त भर्तियां राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के अन्तर्गत की जाएगी।


 (डॉ० सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
 राजस्थान जयपुर